FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **अज्ञात**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/50/2023 दायर दिनांक 02.03.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 29 ई 3594, <u>जिसके असल रजि0 नंबर आर.जे. 14 एफटी 6623</u> को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी बगड तिराया, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 207 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में उक्त जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है। वाहन को छोड़ दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 27.02.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर	

27/02/24 वकील वादी/अनुपस्थित उपस्थित का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 5/0 [illegible] को पेश हो

रीडर

05/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते दुरुस्तगी [illegible]
दिनांक 18/03/24 को पेश हो।

रीडर

11/03/24

वकील अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील अपीलार्थी ने लिखित राशि के दुरुस्तगी व प्रार्थना पत्र पेश किये, जो इस [illegible] पत्रावली [illegible] 7 S.H.O. [illegible] से वाद [illegible] से [illegible] में [illegible] पाये हैं। [illegible] [illegible] होकर तलबीद [illegible] [illegible] हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)